क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने विभिन्न कार निर्माताओं को नोटिस जारी किए हैं जो कि देश में उपभोक्ताओं को कथित रूप से कल्पित उच्च कीमतों पर बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यूहा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विभिन्न चूकक्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यालय का व्योरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (घ): प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों और प्रभाव के दुरुपयोग के मामलों में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को शास्ति लगाने और/या समाप्ति और प्रविष्ट आदेश जारी करने का अधिकार देता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2011 के मामला संख्या 3 में दिनांक 25.08.2014 के आदेश के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 14 कार कंपनियों पर समाप्ति और प्रविष्ट आदेश सहित 2544.65 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग के आदेश को पक्षों द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय/प्रतिस्पर्धा अयोग अधिकारक में समक्ष चुनौती दी गई, उन्होंने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए जुर्माने पर रोक लगाया है।

इसी तरह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के दिनांक 27.07.2015 के 15वीं कार कंपनी, मैसर्स हर्बुडा मोटर इंडिया लिमिटेड पर लगाए गए 420.26 करोड़ रुपए की शास्ति को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार क्योंनिवित नहीं किया गया है।

*****